FORM NO. 3

फर्द अहकाम

.....उपखण्ड अधिकारी, ... मुकाम..... रामगढ शेखावाटी .....

.....मंजर अली.....बनाम.....तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी .....

.....अ. धारा 136 रा.भू.अधिनियम.....मु. न. ..... 04/19.....सन.....2019.....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.06.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी द्वारा धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जमाबन्दी का कम्प्यूटरीकरण होने से पूर्व विवादित आराजी में मेजर खां पुत्र इब्राहिम खां के नाम दर्ज थी। उक्त आराजी को वर्तमान में निसार खां पुत्र इब्राहिम खान की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। तद्नुसार जमाबन्दी में प्रार्थी का खाता दुरूस्त किया जाने का अनुरोध किया है। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर विवादित आराजी मेजर खां के नाम दर्ज किये जाने हेतु सहमति दी गई है। वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा राशन कार्ड, पैन कार्ड, पास–पोर्ट, वोटर आई.डी., बिजली का बिल, बैंक पास बुक तथा सरपंच प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेजात पेश किये गये। उक्त दस्तावेजो में से दस्तावेज वोटर आई.डी., बिजली का बिल, सरपंच प्रमाण–पत्र में प्रार्थी का नाम मेजर खां दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजात पास–पोर्ट, पैन कार्ड व बैंक पास बुक में प्रार्थी का नाम मंजर अली खान दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से विरोधाभाषी तथ्य प्रकट होते है जबकि राजस्व अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण से पूर्व विवादित आराजी मेजर खां के नाम दर्ज है अतः न्यायालय द्वारा पूर्व खातेदार के नाम के अनुसार ही धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार संशोधन का अनुतोष दिया जा सकता है। जबकि प्रार्थी पूर्व खातेदार मेजर खां का नाम दर्ज न करवा कर मंजर अली खां दर्ज करवाना चाहता है जिसे उक्त प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया जाना विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 27.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (निधि सिंह) उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी (सीकर)	